प्रेषक,

जिलाधिकारी
फतेहपुर

सेवा में,

रजिस्टार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक : 957 / खनिज / एनजीटी / संतोष कुमार / 2023 दिनांक : 22-12-2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे दायर ओ0 ए0 संख्या 412/2023 (आई0ए0 नं0–602/2023 और आई0ए0 नं0–603/2023) प्रदीप कुमार शुक्ला बनाम मिनिस्ट्री आफ इनवायरमेन्ट, फारेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेन्ज व अन्य मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे दायर ओ0 ए0 संख्या 412/2023 (आई0ए0 नं0–602/2023 और आई0ए0 नं0–603/2023) प्रदीप कुमार शुक्ला बनाम मिनिस्ट्री आफ इनवायरमेन्ट, फारेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेन्ज व अन्य मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे जिलाधिकारी फतेहपुर को नोडल एजेन्सी नामित कर, संयुक्त समिति का गठन करते हुये प्रतिपक्षी सं0–5 के पक्ष मे ग्राम गढ़ा एहतमाली तहसील खागा के गाटा सं0–294, 293, 277/123 (कृषक भूमि) मे तीन माह की अवधि हेतु खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने में अधिसूचना–2006 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दीपक कुमार बनाम राज्य हरियाणा के मामले मे दिये गये आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध मे लगाये गये आरोपों एवं वाणिज्यिक खनन की सत्यता की जॉच कर की गई कार्यवाही की आख्या 08 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं एवं सुनवाई की अग्रिम तिथि 13.12.2023 निर्धारित की गई थी। उक्त तिथि को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

1. A written request for grant of four weeks' time for submission of the report of the Joint Committee has been made by the District Magistrate, Fatehpur.

2. The District Magistrate has mentioned that the joint Committee has visited the site but could not submit the report due to being busy in work related to Lok Sabha Election and training.

3. The Joint Committee was directed vide order dated 21.09.2023 to submit its report within a period of eight weeks and sufficient time was granted for the purpose. We find no justification for making of written request for extension of time for submission of the report and we record our displeasure in this regard. Report of the Joint Committee be filed on or before 22.12.2023.

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र की आख्या/निरीक्षण आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

प्रतिलिपि :–श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि विषयगत मामले मे समिति की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

22/12

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	संलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का आख्या		1-6
2.	फोटो गैलरी	स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ	7
3.	संलग्नक - 1	कार्यालय जिलाधिकारी का पत्र	8
4.	संलग्नक - 2	आवेदन	9
5.	संलग्नक - 3	शासनादेश दिनांक 04.02.2021	10-11
6.	संलग्नक - 4	वन विभाग की अनापत्ति	12-13
7.	संलग्नक - 5	संयुक्त निरीक्षण आख्या	14-15
8.	संलग्नक - 6	खनन निति 2017 व संबंधित शासनादेश	16-45
9.	संलग्नक - 7 व 10	अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 व 28.03.2020	46-54
10.	संलग्नक - 8	शासनादेश दिनांक 01.05.2020	55-56
11.	संलग्नक - 9	अधिसूचना दिनांक 18.05.2012	57-58

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–412/2023 **(I.A. No. 602/2023 & I.A. No. 603/2023) प्रदीप कुमार शुक्ला बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक** 21.09.2023 **का अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त आख्या।**

1. मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-412/2023 (I.A. No. 602/2023 & I.A. No. 603/2023) प्रदीप कुमार शुक्ला बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य में दिनांक 21.09.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:-

- In this original application, allegation is that the official Respondent Nos. 2 to 4 are allowing commercial mining activity during the monsoon season by granting mining lease/permit in favour of Respondent No.5 for a period of three months on private agriculture land situated in Gata No. 294, 293, 277/123 situated in Village –Gada Ehatmali I, Tehsil-Khaga, District –Fatehpur, Uttar Pradesh, having an area of 1.6400 ha, in violation of environmental laws especially in violation of EIA Notification, 2006 and the judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Deepak Kumar v. State of Haryana reported in (2012) 4 SCC 629.

- Considering the allegation made in the original application, we find that the issue relating to violation of requisite norms and notification concerning the environmental laws is required to be looked, hence, we deem it proper to form a joint committee comprising of Regional Director deputed by Member Secretary, Central Pollution Control Board; Member Secretary, State Pollution Control Board; Member Secretary SEIAA, UP; RO, MOEF&CC, Regional Office, Lucknow and the District Magistrate, District Fatehpur. The District Magistrate, Fatehpur will act as a nodal agency.

- The Joint Committee will examine the truthfulness of the allegations and ascertain the issue of grant of lease on private agriculture land and violation of environmental laws and notification as noted above.

2. मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.09.2023 के अनुपाल में निम्नलिखित सदस्यों को संबंधित कार्यालयों द्वारा नामित किया गया-

    1. श्री आर.के.सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज

2. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक-'ई' पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
3. सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यॉंकन प्राधिकरण (SEIAA)
4. डॉ. देवेंद्र कुमार सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ
5. श्रीमती सी. इंदुमती, जिलाधिकारी फतेहपुर

अवलोकन-

1. स्थलीय निरीक्षण

- उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 23.11.2023 को किया गया। सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यॉंकन प्राधिकरण (SEIAA), उत्तर प्रदेश मौके पर उपस्थित नहीं थे जबकि कार्यालय जिलाधिकारी, नोडल एजेंसी द्वारा पूर्व में ही सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यॉंकन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को संयुक्त बैठक/निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। **(संलग्नक-1)**
- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित खनन अनुज्ञा क्षेत्र के कुछ हिस्से में बालू का उठान किये जाने के चिन्ह पाए गए जोकि बाढ़ के कारण सिल्ट और मिट्टी का उक्त क्षेत्र में पुनः भराव हो जाने के कारण समतल हो गया है। निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि पर कुछ हिस्से पर फसल बोई हुई पायी गयी तथा कुछ भूमि खाली पाई गई। **(संलग्नक-फोटो गैलरी)**
- उक्त क्षेत्र यमुना की मुख्या धारा से लगभग 80-100 मीटर से अधिक दूरी पर पाया गया। **(संलग्नक - फोटो गैलरी)**
- निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी खनिज का भंडारण नहीं पाया गया तथा न ही मशीन द्वारा खनन संक्रियायें पाई गईं।

2. खनन विभाग, फतेहपुर, उत्तरप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए खनन अनुज्ञा पत्र के संबंध में अभिलेखीय विवरण-

- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश सं. ओ.ए. 412/23 में इंगित खनन अनुज्ञा पत्र धारक श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री केदारनाथ निवासी संगोलीपुर मजरे

गढ़ा परगना एकडला तहसील खागा जिला फतेहपुर द्वारा upminemitra पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइल आवेदन पत्र सं.- 2022/11/8/159866 द्वारा जनपद फतेहपुर की तहसील खागा स्थित ग्राम गढ़ा एहतमाली की गाटा सं. - 258 रकबा 0.1050 है., गाटा सं. 259 रकबा 0.0810 है., गाटा सं. 277/123 रकबा 0.3800 है. गाटा सं. 279 रकबा 0.1460 है., गाटा सं. 280 रकबा 0.1130 है. गाटा सं. 286 रकबा 0.5830 है., गाटा सं. 287 रकबा 0.4050 है., गाटा सं. 293 रकबा 0.7530 है., गाटा सं. 294 रकबा 0.6800 है., व गाटा सं. 378/2 रकबा 0.4860 है. कृषिकीय भूमि पर एकत्रित बालू को हटाये जाने हेतु तीन माह की अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया। **(संलग्नक-2)**

- खनिज विभाग, फतेहपुर, उत्तरप्रदेश द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ के शासनादेश सं. 252/86-2021-153 (सा.)/2017 दिनांक 04.02.2021 **(संलग्नक-3)** तथा उ.प्र. उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-52 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कृषकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, को हटाने हेतु दोगुनी रायल्टी पर भू-स्वामी के पक्ष में एक फसली वर्ष में तीन माह की अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है।
- उपरोक्त आवेदित गाटाओं (कृषक भूमि) से बालू/मोरम हटाये जाने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग फतेहपुर के पत्रांक 1982/35-3 दिनांक 16.01.2023 द्वारा वन अनापत्ति प्रदान किया गया है। **(संलग्नक-4)**
- आवेदित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ मानचित्रकार, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग प्रयागराज एवं खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 11.03.2023 को किया गया। **(संलग्नक-5)** आख्या के अनुसार आवेदित गाटाओं में से गाटा सं. 294, 293, 277/123 एकजाई रूप से हैं। क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर गाटा सं. 294, 293, 277/123 का चिन्हांकन किया गया, जिसमें से उक्त गाटा सं. 294, 293, 277/123 रकबा 1.640 है. में बालू/मोरम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पाया गया। उक्त गाटा संख्याओं के सह खातेदारों द्वारा आवेदक के नाम मुख्तारनामा (अधिकार पत्र) दिया गया है। मौके पर चिन्हांकित क्षेत्र का जियोकोर्डिनेट्स लिया गया तथा आख्या के साथ संलग्न नक्शे में उक्त क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। उक्त क्षेत्र का जियोकोर्डिनेट्स निम्नवत है:-

बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
A	N-25°-33'-51.5"	E-81°-00'-24.6"
B	N-25°-33'-56.5"	E-81°-00'-19.7"
C	N-25°-33'-57.9"	E-81°-00'-21.2"
D	N-25°-33'-54.3"	E-81°-00'-27.2"

- उक्त आवेदित क्षेत्र का रकबा 1.640 है. मे 02 मीटर गहराई तक कुल 32800 घ. मी. बालू/मोरम का खनन/परिवहन किया जा सकता है। उ.प्र. उप खनिज परिहार नियमावली-2021 मे बालू/मोरम हेतु रु.150/- प्रति घ.मी. की दर से रायल्टी निर्धारित/देय है। आवेदित क्षेत्र मे उपलब्ध खनिज बालू/मोरम मात्रा 32800 घ.मी. पर देय रायल्टी रु. 150/- का दो गुना अर्थात रु. 300/- प्रति घ.मी. की दर से रु. 98,40,000/-(रु. अट्ठानवे लाख चालीस हजार मात्र) तथा उक्त धनराशि पर नियमानुसार 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की धनराशि रु. 9,84,000/- एवं देय रायल्टी की धनराशि पर 02 प्रतिशत टी.सी.एस. की धनराशि रु. 1,96,800/- अग्रिम रूप से जमा कराकर उक्त आवेदित क्षेत्र हेतु निदेशालय स्तर से खनन योजना अनुमोदित कराकर प्रस्तुत की गई, तदोपरान्त समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदक के पक्ष में दिनांक 12.05.2023 से 10.08.2023 तक तीन माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया।
- उत्तर प्रदेश सरकार (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग) खनन नीति-2017 के परिशिष्ट-क के बिन्दु सं. 08 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनाँक 02.11.2017, 12.04.2018, 30.08.2019 के अनुसार कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमी बालू को हटाने हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। **(संलग्नक-6)**
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 28.03.2020 के परिशिष्ट-9 के बिन्दु-3 के अनुसार "किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाने के मामले में पर्यावरणीय अनापति अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है। **(संलग्नक-7)**
- सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 7 द्वारा जारी पत्रांक सं. 448/81-7-2020-39 (पर्या)/2014 टीसी-01 दिनाँक 01.05.2020 में बिंदु सं. 3 के अनुसार किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि के जमाव को

हटाने के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है। **(संलग्नक-8)**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अध्यादेश/ कार्यालय ज्ञापन -

1. कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 18.05.2012 **(संलग्नक-9)** -माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनाँक 27.02.2012 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि लघु खनिजों की सभी खनन परियोजनाओं को उनके नवीनिकरण सहित पट्टे के आकार की परवाह किए बिना अब से, पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी

2. अधिसूचना दिनाँक 15.01.2016 एवं दिनाँक 28.03.2020 - उपरोक्त अधिसूचना के परिशिष्ट सं. 9 के क्रम सं. 3 के अनुसार किसानों को बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाने हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट दी गई है (संलग्नक-10), हांलाकि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू को हटाये जाने के उपरांत निकाली गई बालू/मोरम का उपयोग/निस्तारण किस प्रकार किया जाएगा इस संबंध में समुचित स्पष्टीकरण नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि खनन विभाग, फतेहपुर, द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र उत्तरप्रदेश शासन द्वारा निर्गत खनन नीति 2017 एवं विभिन्न शासनादेशों के अधीन स्वीकृत एवं निर्गत किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 18.05.2012 के अनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति की आवश्यकता सभी खनन परियोजनाओं को है। किंतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाओं दिनाँक 15.01.2016 एवं 28.03.2020 के अनुसार किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाये जाने हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट दी गई है। हांलाकि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू को हटाये जाने के उपरांत निकाली गई बालू/मोरम का उपयोग/निस्तारण किस प्रकार किया जाएगा इस संबंध में समुचित स्पष्टीकरण नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त अभिलेखीय परीक्षण एवं मौके की भौतिक सत्यापन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर किसान को जो बालू हटाने हेतु खनन विभाग, फतेहपुर द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अधीन दिया गया है, साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28.03.2020) में भी परिशिष्ट 9 के बिंदु सं. 3 में यह स्पष्ट अंकित है कि "किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाने में पर्यावरणीय अनापति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है।"

समिति ने मौजूदा नियमों/अधिसूचनाओं के आलोक में मामले के तथ्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आर.के. सिंह,
क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्रयागराज

डॉ. सत्या,
वैज्ञानिक-ई,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

डॉ. देवेन्द्र कुमार सोनी
क्षेत्रीय निदेशक
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ

22/12/
सी. इन्दुमती
जिलाधिकारी
फतेहपुर

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या–412/2023 (I.A. No. 602/2023 & I.A. No. 603/2023) प्रदीप कुमार शुक्ला बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.09.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 संख्या–412/2023 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

1.In this original application, allegation is that the official Respondent Nos. 2 to 4 are allowing commercial mining activity during the monsoon season by granting mining lease/permit in favour of Respondent No.5 for a period of three months on private agriculture land situated in Gata No. 294, 293, 277/123 situated in Village – Gada Ehatmali I, Tehsil-Khaga, District –Fatehpur, Uttar Pradesh, having an area of 1.6400 ha, in violation of environmental laws especially in violation of EIA Notification, 2006 and the judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Deepak Kumar v. State of Haryana reported in (2012) 4 SCC 629.

2. Considering the allegation made in the original application, we find that the issue relating to violation of requisite norms and notification concerning the environmental laws is required to be looked, hence, we deem it proper to form a joint committee comprising of Regional Director deputed by Member Secretary, Central Pollution Control Board; Member 2 Secretary, State Pollution Control Board; Member Secretary, SEIAA, UP; RO, MOEF&CC, Regional Office, Lucknow and the District Magistrate, District Fatehpur. The District Magistrate, Fatehpur will act as a nodal agency.

3. The Joint Committee will examine the truthfulness of the allegations and ascertain the issue of grant of lease on private agriculture land and violation of environmental laws and notification as noted above.

4. The Committee is directed to submit the action taken report within a period of 8 weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5. A copy of this order be forwarded to the Members of the Committee by e-mail for compliance.

जनपद फतेहपुर के तहसील खागा स्थित गढ़ा एहतमाली की गाटा संख्या–294, 293, 277/123 रकबा 1.6400हे0 (काश्तकारी भूमि) मे दिनांक 12.05.2023 मे तीन माह की अवधि के लिए मात्रा 32800घन0मी0 बालू/मोरम की निकासी हेतु खनन अनुज्ञा पत्र उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–52 के अधीन श्री संतोष कुमार पुत्र श्री केदारनाथ निवासी संगोलीपुर मजरे गढ़ा परगना एकडला, तहसील खागा, जनपद फतेहपुर के पक्ष मे स्वीकृत किया गया था, खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि दिनांक 10.08.2023 को समाप्त हो चुकी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.09.2023 में जिलाधिकारी महोदया फतेहपुर को नोडल के रूप मे नामित करते हुये निम्नवत् समिति का गठन किया गया है :–

1. क्षेत्रीय निदेशक प्रतिनियुक्त सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।
3. सदस्य सचिव SEIAA क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, MOEF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.09.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से श्री संतोष कुमार उपरोक्त के प्रकरण में परीक्षण हेतु दिनांक 26.10.2023 को अपरान्ह 1.00बजे स्थान सभागार कलेक्ट्रेट फतेहपुर में नियत किया गया है।

अतः समिति के सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि उक्त नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर प्रकरण का परीक्षण/बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

16/10
अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
फतेहपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 694/खनिज/एन0जी0टी0/2023 दिनांक 16/10/2023

जिलाधिकारी महोदया, फतेहपुर को आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।

1. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक IPC-IICM-13011/145/2023 दिनांक 09.10.2023 के क्रम में।
2. सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।
3. सदस्य सचिव SEIAA क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक/वैज्ञानिक ई, MOEF&CC, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 05.10.2023 के क्रम मे।

अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
फतेहपुर।

संलग्नक :- 02 ×

(9)

Bhoomidhari/ Agricultural Land (Rule 52)

आवेदन क्रमांक :- 2022/11/8/159866

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- SANTOSH KUMAR

पिता का नाम: - KEDARNATH

जनपद :- FATEHPUR

तहसील :- KHAGA

आवेदक का पता :- SANGOLIPUR NARAULI FATEHPUR

लिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :-

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम:- मौरम

खनिज की मात्रा:- 20000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन:-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :- 6(माह)

आवश्यक अभिलेख:-

- आवेदन शुल्क के चालान अपलोड (चालान नं0: AKV22002301)
- भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो
- आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतौनी अपलोड
- आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

2022/

Page 1

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज़ :-

अपलोड दिनांक:- 06-12-2022

दिनांक:- 06-12-2022

क्या आवेदक का/आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है:(हाँ/नहीं):-हाँ

प्रस्तावित क्षेत्र से ५० मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक, भवन, जलाशय, मंदिर, तालाब, टॉवर, जंगल, पुरातत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? -(हाँ/नहीं):-नहीं

टिप्पणी:-tahseeldar khaga ki jaanch riport seva me preshit hai.

तहसीलदार की रिपोर्ट

1

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	RAM MANOHAR, BHUSAI PRASAD, RAMPRASAD, NOKHELAL, KESHAVPRASAD, HARISHCHANDRA, GOBARDHAN, BHIYALAL, BABULAL, DHANRAJ, RAMBARAN, SHIVBARAN, SANTOSHKUMAR, GULABDEVI, MEDIYA	KHAGA	GADA BHATMALI I	258 259 277/123 279 280 286 287 293 294 678/2		1.9900	

वापस

✔ कार्य प्रक्रिया शुरू करें

संख्या- 252 /86-2021-153(सा0)/2017

ADM/MO

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(41)

04/02/2021

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एव खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2021

विषयः निजी भूमि मे बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, के लिए दोगुनी रायल्टी पर भू-स्वामी के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली-2019 अधिसूचना दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। संशोधित नियमावली दिनांक 13.08.2019 के अन्तर्गत नियम-23(ड.) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57 (सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 द्वारा नदी तल स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 1 हे0 हो, जिसमें बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, को अधिकतम 06 माह की अवधि के लिए ई-निविदा के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

2. उक्त नियमावली के अन्तर्गत नियम-52क के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2027/ 86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 द्वारा कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, को हटाने हेतु दोगुनी रायल्टी पर भू-स्वामी के पक्षमें एक फसली वर्ष में तीन माह की अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हो, के क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश में भूमिधरी में उपलब्ध बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हो, के व्यवस्थापन हेतु उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 में नया नियम-52ग समावेशित करते हुये "उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 अधिसूचना सं0-2219/86-2020-153(सा0) /2017 दिनांक 27.01.2021 द्वारा (छायाप्रति संलग्न) प्रख्यापित की गई है। उक्त नियम-52ग निम्नवत् हैः-

"खनन अनुज्ञा पत्र, निजी भूमि, जहाँ साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी वस्तु मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से खनन हेतु उपयुक्त पायी जाय, पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों

के अध्यधीन प्रथम अनुसूची में उल्लिखित स्वामित्व की दो गुनी धनराशि जमा किये जाने पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिये भू-स्वामी के पक्ष में स्वीकृत किया जा सकता है।"

4. उक्त नियम के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

(1) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, के खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/- (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से आवेदित क्षेत्र की उपयुक्तता एवं खनन योग्य मात्रा का आंकलन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:-

1	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी
2	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संशाधन विभाग
3	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक

(3) गठित समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 06 माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए प्रपत्र एम0एम0-10 में खनन अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा।

5. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधरी में बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिलीजुली अवस्था में हो, के लिए दोगुनी रायल्टी पर उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुसार भू-स्वामी के पक्ष में, खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 सेशन जैकब)
सचिव।

संख्याः (1)/86-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1377/ एम0-1ए 15/2011 दिनांक 25.11.2020 के सन्दर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर

पत्रांक 1982 /35-3 दिनांक फतेहपुर – जनवरी , 16, 2023

खनन - 04

सेवा में,

जिलाधिकारी,

फतेहपुर।

विषयः- ग्राम गढ़ा एहतमाली में वन अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक 1226/30-खनिज (2022-23) दिनांक 02.11.2022 ।

महोदय,

शासनादेश सं0- 15/2020/06जी0आई0/86-2019 दिनांक 31.12.2019 द्वारा निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में खनन पट्टा प्रदान किये जाने हेतु प्राथमिकता पूर्वक नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं।

उक्त शासनादेश के अनुक्रम में श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री केदारनाथ निवासी संगोलीपुर मजरे गढ़ा परगना एकडला तहसील खागा जिला फतेहपुर द्वारा जनपद फतेहपुर कि तहसील खागा के ग्राम गढ़ा एहतमाली जिला फतेहपुर की गाटा सं0- 258 रकबा 0.1050हे0, गाटा सं0-259 रकबा 0.0810हे0, गाटा सं0- 277/123 रकबा 0.3800हे0, गाटा सं0- 279 रकबा 0.1460हे0, गाटा सं0- 280 रकबा 0.1130हे0, गाटा सं0- 286 रकबा 0.5830हे0, गाटा सं0- 287 रकबा 0.4050हे0, गाटा सं0- 293 रकबा 0.7530हे0, गाटा सं0- 294 रकबा 0.6800हे0 व गाटा सं0- 378/2 रकबा 0.4860हे0 कुल रकबा 3.7320 हे0 कृषिकीय भूमि पर अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदित पत्र के क्रम में प्रस्तावित खनन क्षेत्र का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी खखेरु के पत्रांक 83/33-3 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा किया गया है। क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कृषक का नाम व पता	ग्राम का नाम	तहसील	जी0पी0एस0 रीडिंग	खसरा संख्या	रकबा (हे0)
1	केशव प्रसाद पुत्र शिव बालक, हरिशचन्द्र, गोवर्धन, भईयालाल,बाबूलाल,पुत्रगण- जगन्ननाथ ,धनराज पुत्र- गयादीन ,राम बरन ,शिव बरन पुत्रगण- रामप्रतीत, संतोष कुमार पुत्र केदार नाथ, श्रीकेसन, अवधनरेश, बिरेन्द्र पुत्रगण- राम मनोहर,दिलीप कुमार,कुल्दीप कुमार, सुल्दीप कुमार पुत्रगण- श्रीराम ,श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री राम, जाह्री देवी पत्नी मुरली लवकुश, सियाराम ,अतुल कुमार पुत्रगण मुरली सीमा देवी पुत्री मुरली शीलू देवी पुत्री मुरली देवी उदल नबालीक विष्णू नबालीक पुत्रगण मुरली गोल्ही पत्नी स्व0 नोखेलाल, बिन्देश्वर प्रसाद पुत्र राम प्रसाद, संतोष कुमार केवट, सम्पत्त कुमार, शत्रुघन लाल केवट पुत्रगण भुसई प्रसाद निवासीगण संगोलीपुर मजरे गढ़ा तहसील खागा जिला फतेहपुर	गढ़ा एहतमाली	फतेहपुर	N 25° 33' 54" E 81° 00' 20" N 25° 33' 55" E 81° 00' 19" N 25° 33' 53" E 81° 00' 21" N 25° 33' 55" E 81° 00' 19"	258,259, 277/123 ,279 280,286 287,293 294, 378/2	3.7320 हे0

328

क्षेत्रीय वन अधिकारी खखरेरु की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गढ़ा एहतमाली की गाटा सं0- 258 रकबा 0.10 गाटा सं0-259 रकबा 0.0810हे0, गाटा सं0- 277/123 रकबा 0.3800हे0, गाटा सं0- 279 रकबा 0.1460हे0, गाटा सं0- रकबा 0.1130हे0, गाटा सं0- 286 रकबा 0.5830हे0, गाटा सं0- 287 रकबा 0.4050हे0, गाटा सं0- 293 रकबा 0.7530हे0, गाटा सं0- 294 रकबा 0.6800हे0 व गाटा सं0- 378/2 रकबा 0.4860हे0 कुल रकबा 3.7320 हे0 का है। ग्राम गढ़ा एहतमाली में किसी भी प्रकार की वन भूमि नहीं है।

अतएव उक्त स्थित के कारण ग्राम गढ़ा एहतमाली की गाटा सं0- 258 रकबा 0.1050हे0, गाटा सं0-259 रकबा 0.0810हे0, गाटा सं0- 277/123 रकबा 0.3800हे0, गाटा सं0- 279 रकबा 0.1460हे0, गाटा सं0- 280 रकबा 0.1130हे0 ,गाटा सं0- 286 रकबा 0.5830हे0, गाटा सं0- 287 रकबा 0.4050हे0, गाटा सं0- 293 रकबा 0.7530हे0, गाटा सं0- 294 रकबा 0.6800हे0 व गाटा सं0- 378/2 रकबा 0.4860हे0 कुल रकबा 3.7320 हे0में खनन अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु निम्न शर्तों के आधार पर वन भूमि के दृष्टिगत वन अनापत्ति निर्गत की जाती है:-

1. खनन हेतु आवेदित प्लाट तथा आराजी की सीमा बन्दी वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खान विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में करना होगा।
2. खनन आरम्भ करने से पूर्व आवेदित स्थल के प्रत्येक कोने पर पक्की चिनाई कर 0.50X0.50X0.50 मीटर माप का सीमा स्तम्भ लगाया जाय तथा पिलर पर उसकी जी0पी0एस0 रीडिंग पेंट से अंकित की जाए।
3. आवेदित स्थल पर कम्पनी/आवेदक का बोर्ड लगवाया जाये, जिसमें आवेदक का नाम व पता स्थल का रकबा व अवधि स्पष्ट रूप से लिखा हो।
4. आवेदक स्वीकृत स्थल पर में ही खनन करेगा।
5. आवेदक स्वीकृत स्थल के आस-पास वन क्षेत्र में अवैध खनन नही करेगा। आवेदित स्थल के आस-पास अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन करने की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को देगा।
6. आवेदक वन मार्ग का उपयोग उप खनिज परिवहन में नहीं करेगा।
7. शासन द्वारा समय-समय पर खनन सम्बन्धी शासनादेशों, मा0 उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण तथा सी0ई0सी0 द्वारा पारित आदेश एवं निर्देशों का उल्लंघन न हो।
8. उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
9. उक्त ग्राम के राजस्व अभिलेखों में दर्ज किसी जंगल/वन के दृष्टिगत अनापत्ति राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली जाए।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री केदारनाथ निवासी संगोलीपुर मजरे गढ़ा परगना एकड़ला तहसील खागा जिला फतेहपुर द्वारा जनपद फतेहपुर की तहसील खागा स्थित ग्राम गढ़ा एहतमाली की गाटा सं0–258 रकबा 0.1050हे0, गाटा सं0–259 रकबा 0.0810हे0, गाटा सं0–277/123 रकबा 0.3800हे0, गाटा सं0–279 रकबा 0.1460हे0, गाटा सं0–280 रकबा 0.1130हे0 गाटा सं0–286 रकबा 0.5830हे0 गाटा सं0–287 रकबा 0.4050हे0, गाटा सं0–293 रकबा 0.7530हे0, गाटा सं0–294 रकबा 0.6800हे0 व गाटा सं0–378/2 रकबा 0.4860हे0 में कृषिकीय भूमि पर अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–52क के अन्तर्गत **upminemitra** पर आनलाइन आवेदन पत्र सं0–2022/11/8/159866 प्रस्तुत किया गया है।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0–252/86–2021–153 (सा0)/2017 दिनांक 04.02.2021 द्वारा **कृषकीय भूमि पर बाढ़** के कारण जमा **बालू या मोरम** या बजरी या-बोल्डर अथवा इनमे से कोई भी मिली–जुली अवस्था मे उपलब्ध हो, को हटाने हेतु **दोगुनी रायल्टी पर भू–स्वामी के पक्ष में** एक फसली वर्ष मे **तीन माह** की अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के प्राविधान हैं, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 (यथा संशोधित नई नियमावली) के नियम–52 मे उल्लिखित हैं।

उपरोक्त आवेदित गाटाओं (कृषक भूमि) से बालू/मोरम हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग फतेहपुर के पत्रांक 1982/35–3 दिनांक 16.01.2023 द्वारा वन अनापत्ति प्रदान कर दी गई है।

आवेदित गाटाओं के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, खागा की आख्या दिनांक 30.11.2022 प्राप्त हुई है, आख्या के अनुसार ''ग्राम गढ़ा के अभिलेखीय अवलोकन करने पर एहतमाली के खाता सं0–125 मे अंकित खातेदार केशव प्रसाद पुत्र श्री शिव बालक निवासी संगोलीपुर व हरिश्चन्द्र, गोवर्धन, भइयालाल, बाबूलाल पुत्रगण जगन्नाथ निवासी संगोलीपुर, धनराज पुत्र गयादीन, रामबरन, शिवबरन पुत्रगण रामपतीत, संतोषकुमार पुत्र श्री केदारनाथ निवासी संगोलीपुर के नाम अंकित है, उक्त खाते मे गाटा सं0–258/0.1050हे0, 259/0.0810हे0, 277/123/0.3800हे0, 279/0.1460हे0, 280/0.1130हे0 286/0.5830हे0, 287/0.4050हे0, 293/0.7530हे0, 294/0.6800हे0, 378/2/0.4860हे0 अंकित है। उपरोक्त गाटों मे स्थल निरीक्षण मे पाया गया कि सभी परती पड़े हैं, उस पर किसी प्रकार के पेड़–पौधे नही है, और न ही कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः उक्त गाटो मे आसानी से खनन किया जा सकता है।''

प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ मानचित्रकार क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग प्रयारागराज एवं खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 11.03.2023 को किया गया। आवेदित गाटाओं मे से गाटा सं0–294, 293, 277/123 एकजाई रूप से हैं। क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर गाटा सं0–294, 293, 277/123 का चिन्हांकन कराया गया, जिसमे से उक्त गाटा सं0– गाटा सं0–294, 293, 277/123 रकबा 1.640 हे0 मे बालू/मोरम प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध पाया गया। उक्त गाटा संख्याओं के सह खातेदारों द्वारा आवेदक के नाम मुख्तारनामा (अधिकार पत्र) दिया गया है। मौके पर चिन्हांकित क्षेत्र का जियोकोर्डिनेट्स लिया गया तथा आख्या के साथ संलग्न नक्शे मे उक्त क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। उक्त क्षेत्र का जियोकोर्डिनेट्स निम्नवत् है :–

बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
A	N-25°-33'-51.5"	E-81°-00'-24.6"
B	N-25°-33'-56.5"	E-81°-00'-19.7"
C	N-25°-33'-57.9"	E-81°-00'-21.2"
D	N-25°-33'-54.3"	E-81°-00'-27.2"

उक्त आवेदित क्षेत्र का रकबा 1.640हे0 मे 02 मीटर गहराई तक कुल 32800घ0मी0 बालू/मोरम का खनन/परिवहन किया जा सकता है। उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली–2021 मे बालू/मोरम हेतु रु0–150/–प्रतिघ0मी0 की दर से रायल्टी निर्धारित/देय है। आवेदित क्षेत्र मे उपलब्ध खनिज बालू/मोरम मात्रा 32800घ0मी0

R.I. (ii) 16/3/2023

(15)

पर देय रायल्टी रु0–150/– का दो गुना अर्थात रु–300/– प्रतिघ0मी0 की दर से रु0–96,40,000/–(रु0–छियानवे लाख मात्र) तथा उक्त धनराशि पर नियमानुसार 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की धनराशि रु0–9,84,000/– एवं देय रायल्टी की धनराशि पर 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि रु0–1,96,800/– अग्रिम रूप से जमा कराकर आवेदक के पक्ष में तीन माह की अवधि हेतु निम्न शर्तों के अधीन नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जा सकता है।

शर्ते :–

1. अनुज्ञा पत्र धारक राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावों को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुज्ञा पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा, जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सर्वाजनिक सम्पत्ति पर कोई क्षति न हो।
3. अनुज्ञा पत्र धारक उपखनिजों का परिवहन ई–एम0एम0–11 के माध्यम से किया जायेगा, तथा सभी खनिजों का लेखा जोखा रखेगा और तदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखो का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. अनुज्ञा पत्र धारक अनुमोदित खनन योजना में निहित शर्तों के अनुसार ही खनन कार्य करेगा।
5. अनुज्ञा धारक सीमास्तम्भों का अनुरक्षण करेगा।
6. खनन कार्य 02मीटर गहराई या जल स्तर जो भी पहले हो, से अधिक खनन नही करेगा।
7. अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित मात्रा या अनुज्ञा अवधि जो भी पहले हो, तक ही अनुज्ञा पत्र वैध होगा। अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के उपरान्त किसी प्रकार से अवधि विस्तार अनुमन्य नही होगा एवं इस सम्बन्ध मे कोई भी दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
8. खनन स्थल हेतु पहुँच मार्ग अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा, पहुँच मार्ग/रास्ते की जिम्मेदारी स्वयं अनुज्ञा धारक की होगी, राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी न होगी।
9. खनिज का परिवहन त्रिपाल आदि से ढक कर किया जायेगा।
10. खनन अनुज्ञा एवं अनुमोदित खनन योजना मे उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अनुज्ञा पत्र धारक मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

R.I (G) 16/3/2023

कलक्ट्रेट लेखपाल
लेखपाल
मो0नं0– 9936978737

राजस्व निरीक्षक
धाता

वरिष्ठ मानचित्रकार
क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म
प्रयागराज

खान अधिकारी
फतेहपुर

उप जिलाधिकारी,
खागा

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ।

खनन नीति, 2017

विषय सूची

		पृष्ठ
1	खनन नीति के मूलमंत्र	1
2	खनन नीति के उद्देश्य	1
3	परिचय	2
4	उद्देश्य पूर्ति की रणनीति	4
5	खनिज अन्वेषण	7
6	खनिज विकास की वर्तमान स्थिति	7
7	खनन प्रशासन की विधिक व्यवस्था	11
8	खनिज परिहार स्वीकृत करने की नीति	11
9	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन	15
10	खनन प्रशासन का सुदृणीकरण	16
11	तकनीकी शिक्षण संस्थानों में खनन तकनीक का पाठ्यक्रम	16
12	जिला खनिज फाउन्डेशन डी0एम0एफ0	16
13	टेक्नोलाजिकल इण्टरवेन्शन	16
14	नागरिक सूचना	17
15	परिशिष्ट 'क'	

उत्तर प्रदेश सरकार
(भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)
खनन नीति 2017

1. खनन नीति के मूलमंत्र:

राज्य सरकार द्वारा सुशासन (Good Governance) एवं भ्रष्टाचार मुक्त (Anti Corruption) के मूल मंत्रों पर आधारित नीति बनाने का संकल्प है जिसमें निम्न मंत्र हैं–

क.	पारदर्शिता	ख.	कानून का राज	ग.	समता
घ.	प्रभावी	ड.	आम सहमति	च.	उत्तरदायी
छ.	भागीदारी				

उपरोक्त मंत्रों के आधार पर निम्न राज्य सरकार द्वारा खनिज सेवा के सभी निम्न तत्वों को प्राप्त करने का लक्ष्य है–

क. खनिजों के विषय में जागरूकता (Awareness)

ख. सर्व सामान्य को खान एवं खनिजों तक पहुँच (Accesibility)

ग. सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता (Availability)

घ. खनिजों का मूल्य जन साधारण के सामर्थ्य के अनुसार हो (Affordability)

ड. उपरोक्त के आधार पर जन साधारण में खनिजों की स्वीकार्यता (Acceptability)

2. खनन नीति के उद्देश्य:

खनन नीति 2017 को निम्न उद्देश्यों के लिए प्रख्यापित की जा रही है :–

(i) खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेष का सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास (Sustainable Socio Economic Development)

(ii) खनिजों का संरक्षण (Mineral Conservation)

(iii) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology) का संतुलन बनाये रखना

(iv) खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश (State's Own Resouces) 1.85% को बढ़ाकर आगामी 05 वर्षो में 3% किया जाना।

(v) अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु तकनीकी हस्तक्षेप तथा अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दण्ड की कार्यवाही।

(vi) खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा।

(vii) खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।

(viii) खनिजों के वैज्ञानिक विकास, जिसमें खनिजों की उपयोगिता, विपणन, मानव संसाधन सम्मिलित हैं, हेतु तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएँ तथा परामर्श उपलब्ध कराना।

(ix) इच्छुक उद्यमियों को खनिज आधारित सूचना/आंकड़ो की उपलब्धता कराना।

(x) खनिज विकास प्रकिया में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास।

(xi) खनिज विकास हेतु आधुनिक अन्वेषण तकनीक के माध्यम से नये खनिज भण्डारों के अन्वेषण में तीव्रता।

(xii) खनिजों के परिहार की स्वीकृति की प्रकिया को पारदर्शी बनाने हेतु ई–टेण्डरिंग/ई–नीलामी/ई–बिडिंग प्रणाली लागू किया जाना तथा खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरलीकृत करते हुए प्रकिया में पारदर्शिता लाना एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।

(xiii) खनन क्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन।

3. परिचय :–

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। इसका अक्षांश 23°52' से 31°28' उत्तर एवं देशान्तर 77°3' से 84°39' पूरब है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल की सीमा के साथ उत्तराचंल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां है। उत्तर प्रदेश जनसख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। यह राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिसका दो तिहाई क्षेत्र मृदा युक्त है। चट्टान युक्त क्षेत्र जो खनिजों के लिए आवश्यक है का 0.5 लाख वर्ग कि0मी0 क्षेत्र दक्षिण में स्थित है।

i. भूगोल :

उत्तर प्रदेश 08 राज्यों –उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार से तथा एक देश नेपाल से घिरा राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल व उत्तराखण्ड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तथा दक्षिण–पूर्व में झारखण्ड व छत्तीसगढ से घिरा हुआ है।

उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। प्रदेश के उत्तरी भाग की तरफ मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण भाग की ओर पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:–

a. उत्तर में गंगा का मैदानी भाग– यह क्षेत्र अत्यन्त ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियाँ है। इसका ढलान 2 मीटर/किलोमीटर है।

b. दक्षिण का विन्ध्याचल क्षेत्र–यह एक पठारी क्षेत्र है, तथा इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है। इस क्षेत्र में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है।

यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णदेशीय मानसून की है।

ii. भूमि :

भू–आकृति – उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगौलिक क्षेत्रों गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्चभूमि में बाँटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल

क्षेत्रफल का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने है। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार–चढ़ाव नहीं है, यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊँचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्चभूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण–पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊँचाई कहीं–कहीं ही 305 से अधिक होती है।

iii. **नदियाँ –**

उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ है जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चम्बल, बेतवा केन, सोन आदि मुख्य है। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उदगम स्थान भी भिन्न–भिन्न है, अतः इनके उदगम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ।

iv. **मृदा :**

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग दो–तिहाई भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ, मिट्टी की गहरी परत से ढंका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है, तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतया मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल है।

v. **खनिज सम्पदा :–**
प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज :

मुख्य खनिज –

1	कोयला	7	एन्ड्यूलुसाईट
2	लाइमस्टोन	8	सिलेमनाईट
3	रॉकफास्फेट	9	कॉपर
4	पोटास	10	गोल्ड
5	बाक्साईट	11	आयरन आदि।
6	कैल्साईट	12	प्लेटिनम

उपखनिज –

1	सिलिका सैण्ड	8	ग्रेनाईट–खण्डा/गिट्टी
2	पाइरोफिलाईट–डायस्पोर	9	डोलोस्टोन–गिट्टी
3	डोलोमाईट	10	सैण्डस्टोन–ब्लॉक पटिया/खण्डा गिट्टी
4	ग्रेनाईट डायमेन्शनल स्टोन	11	नदी तल में पाये जाने वाले

			बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर
5	चाईना क्ले,	12	ईंट–मिट्टी
6	क्वार्टर्ज,	13	साधारण मिट्टी
7	मार्बल,		

4. उद्देश्य पूर्ति की रणनीतिः–

(i) अन्वेषण कार्य :–

खनिजों के अन्वेषण में तीव्रता लाकर महत्वपूर्ण श्रेणी के खनिजों के भण्डारण का सिद्धीकरण कराया जाना जिससे कि उसका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा सके। अन्वेषण के प्रोत्साहन के उद्देश्य से निम्नलिखित खनिजों के क्षेत्रीय अन्वेषण एवं प्रयोगशाला कार्यो को प्राथमिकता दी जायेगी।

a) बहु धात्विक(Multi metallic) एवं नोबल धातुओं के खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम आदि।
b) सिरैमिक एवं रिफैक्ट्री खनिज जैसे चाइना क्ले, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, एण्डालुसाइट एवं सिलिमिनाइट।
c) उच्च कोटि के चूना पत्थर एवं डोलोमाइट।
d) डाइमेंशनल स्टोन जैसे, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन आदि।
e) रेअर अर्थ मिनरल की खोज में तीव्रता लाना।

(ii) निम्न श्रेणी के खनिजों का उच्चीकरण करते हुए खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना –

क्षेत्रों के अध्ययन के उपरान्त ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जायेगा जो तत्काल विकसित किये जा सके तथा उन पर खनिज आधारित उद्योग स्थापित किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हांकित किया जायेगा जहाँ खनिजों की उपस्थिति की कम जानकारी है तथा उनके व्यावसायिक भण्डारों को अभी खोजा जाना शेष है। निम्न श्रेणी (Low grade) के खनिजों का Mineral Beneficiation द्वारा उच्चीकरण कराया जाना।

(iii) सरलीकृत, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली :–

खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उपखनिजों के खनन पट्टों/अनुज्ञा पत्रों को ई–टेण्डर/ई–नीलामी/ई–बिडिंग के माध्यम से दिया जायेगा। परिहार देने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा तथा उसे समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जायेगा।

(iv) खनिज आधारित सूचना :

उद्यमियों को खनिज आधारित सूचना, परीक्षण एवं अन्वेषण आदि के बारें में जानकारी/सूचना उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु निदेशालय स्तर पर विशेष सेल की स्थापना की जायेगी। निदेशालय के वेब पोर्टल पर भी समय–समय पर आवश्यक जानकारियां दी जायेगी।

(v) अवस्थापना सुविधायें :

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अर्न्तगत अवस्थापना सुविधाओं एवं संचार सुविधा को विकसित किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में कार्यालय भवन, दूरभाष, इण्टरनेट तथा ब्राडबैण्ड सुविधायें स्थापित की जायेगी। प्रवर्तन एवं

क्षेत्रीय कार्यों हेतु प्रत्येक जनपद में वाहन तथा खनिज अन्वेषण दल के लिये अलग से वाहनों की व्यवस्था की जायेगी।

(vi) आधारभूत सुविधाएं:

प्रत्येक जनपदों में एक लाभरहित न्यास (Trust) जिला खनिज फाउन्डेशन की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से खनिज क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं जैसे–सम्पर्क मार्ग, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा एवं स्वच्छता आदि से संबंधित कार्य कराये जायेगें। इसके अन्तर्गत जिला खनिज ट्रस्ट के गठन का निर्णय लिया जा चुका है तथा शीघ्र कियान्वित कराया जायेगा।

(vii) विभागीय सचल दल:

अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दल का गठन किया जायेगा, जो अवैध खनन की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करेंगे।

(viii) विभागीय सुरक्षा बल :

अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु विभागीय सुरक्षा बल का गठन किया जायेगा। उक्त विभागीय सुरक्षा बल निदेशालय के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(ix) अधिकाधिक क्षेत्रों में परिहार स्वीकृत करना :

खनिज क्षेत्रों का सर्वे कराकर उसे उचित खण्डों में निर्धारित करते हुए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयबद्ध तरीके से परिहार पर स्वीकृत किये जायेगे तथा सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही खनन संकिया सम्पादित करायी जायेगी। अधिकाधिक क्षेत्रों को खनन पट्टे अथवा खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जायेगें ताकि अवैध खनन की सम्भावना न रहें, शासकीय राजस्व प्राप्ति के साथ उद्योगों एवं रोजगार को बढ़ावा मिले।

(x) अवैध खनन/परिवहन में जोखिम वृद्धि (Risk Increasment) :

अवैध खनन अथवा खनिजों के अवैध परिवहन करने वाले व्यक्तियों अथवा माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वृहतम दण्ड दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। अवैध खनन/परिवहन करने वाले को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :

क. अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित अर्न्तविभागीय विशेष टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जायेगा।

ख. इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिससे कि अवैध खनन/परिवहन में जोखिम में वृद्धि हो जिससे कि अवैध खननकर्ता/परिवहनकर्ता हतोत्साहित हो। इस हेतु अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध न्यूनतम दण्ड में वृद्धि व कारावास के दण्ड का प्राविधान किया जाएगा।

ग. अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम में नवीतम तकनीक का उपयोग किया जायेगा। अन्य राज्यों एवं भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये उपायों को सम्मिलित करते हुए तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग किया जायेगा, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

a) खनिज क्षेत्रों का Geo fencing
b) जीपीएस Tracking के माध्यम से खनिज वाहनों पर नियंत्रण एवं Mining Surveillance System की व्यवस्था।
c) CCTV/PTZ युक्त प्रणाली खनन Check गेट पर स्थापित किये जायेगें जिससे Control Command Centre से जोड़ा जायेगा।
d) MM-11 का e-generation
e) चैक गेट पर खनिजों के वजन की व्यवस्था।
f) RFID based आवक् रिकार्ड।
g) Command Control Center की स्थापना।
h) रायल्टी की Online payment की व्यवस्था।
i) परिवहन विभाग एवं व्यापार कर विभाग के साथ System Integration
j) खनिज क्षेत्रों का सैटेलाईट मैपिंग।
k) सभी खानों, स्वीकृत खनन पट्टों, खनिज भण्डारण, खनिज वाहनों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा।

(xi) दोषी पट्टेदारों के विरूद्ध कार्यवाही :

ऐसे पट्टाधारक जो नियम विरूद्ध कार्य करते हुए पाये जायेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद योजित की जायेगी तथा उनका खननपट्टा निरस्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(xii) खनन सम्बन्धी अपराधों के त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन :

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथासंशोधित वर्ष 2015 की धारा 30बी के प्राविधान के अनुसार अधिनियम की धारा 4(1), 4(1ए) के अपराधों के त्वरित सुनवाई के लिए मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार विशेष न्यायालय का गठन किया जायेगा।

(xiii) खनिज क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाए :

जिला खनिज फाउन्डेशन के माध्यम से खनन से प्रभावित व्यक्तियों व क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाए संचालित करायी जायेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अर्न्तगत खनिज क्षेत्रों एवं आस–पास के इलाकों में जनसुविधाओं का विकास कराया जायेगा तथा खनिज क्षेत्रों में परिवहन मार्ग विकसित की जायेंगी।

5. खनिज अन्वेषण :

प्रदेश के पट्टानी क्षेत्रों में भू–तल पर एवं भू–तल के नीचे उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण कर क्षेत्र में खनिज के भण्डार की खोज एवं इसके सिद्धीकरण का कार्य किया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा अन्वेषित खनिजों के भण्डारों के आधार पर स्थापित उद्योग

क्र0 सं0	खनिज का नाम	स्थिति /स्थान	खोजे गये भण्डारों की मात्रा (मिलियन टन में)	उपयोग/स्थापित उद्योग
1	सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन ($CaCO_3$)	1. कजरहट लाइमस्टोन	125.44	सीमेंट उद्योग स्थापित डाला, चुर्क, (सोनभद्र) चुनार, (मिर्जापुर)
		2. रोहतास लाइम स्टोन,		
		(अ) स्कार्प लाइमस्टोन	21.60	
		(ब) घाघर लाइम स्टोन	118	
		(स) रूदौली लाइमस्टोन	5.50	
		3. रोहतास लाइम स्टोन, कनछ–बसुधारी	69.61	
		4. बिल्ली क्षेत्र सोनभद्र	30	
2.	सिलिका सैण्ड (SiO_2)	लालापुर, गोलहिया शंकरगढ क्षेत्र जनपद – इलाहाबाद मिश्रा खरवारी, गौंडिहा, कुर्बियन जनपद–चित्रकूट	150	सिरेमिक टाइल्स उद्योग, खुर्जा ग्लास/चूड़ी उद्योग जनपद–फिरोजाबाद बी0एम0ई0एल0 रानीपुर (हरिद्वार) सोलर पैनल हेतु
3.	पायरोफिलाइट $Al_2Si_4O_{10}(OH)$ डायस्पोर $Al_2O_3.2H_2O$	पालर–गोरारी,, जनपद झांसी मैलार , बार, टोरी, सिरोन, ककरारी, पुरायनकुआँ जनपद ललितपुर, मझगवा हमीरपुर	12.17 0.50	टाल्क पाउडर, कीटनाशक उद्योग हैण्डीक्राफ्ट उद्योग – टीकमगढ/ आगरा फायर ब्रिक्स – झारखण्ड, पश्चिम बंगाल

6. खनिज विकास की वर्तमान स्थिति :–

(i) प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज जिनके खनन से राजस्व प्राप्त हो रहा है

मुख्य खनिज–

A. कोयला–

- जिला–सोनभद्र
- क्षेत्र –बीना, ककड़ी, खड़िया एवं कृष्णशिला
- पट्टाधारक–नार्दन कोल्ड फील्ड लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
- उत्पादन–14.25 मिलियन टन (वर्ष 2016–17)
- रायल्टी रू0 309.42 करोड़ (वर्ष 2016–17)

B. लाइमस्टोन (सीमेन्ट ग्रेड)

- जिला–सोनभद्र
- क्षेत्र–बिल्ली मारकुण्डी, कजरहट,भलुआ, गुरमा
- पट्टाधारक– जे0पी0 एसोसिएट्स
- उत्पादन–26.95 लाख टन (वर्ष 2016–17)
- उपयोग–डाला सीमेन्ट फैक्ट्री
- रायल्टी–रू0 06.60 करोड़ (वर्ष 2016–17)

25

उपखनिज–

C. सिलिका सैण्ड–

- जिला–इलाहाबाद एवं चित्रकूट
- क्षेत्र–बारा, शंकरगढ़–इलाहाबाद बरगढ़–चित्रकूट
- कुल पट्टे–14
- उत्पादन–2.5 लाख टन (वर्ष 2016–17)
- रायल्टी –रू0 2.5 करोड़ (वर्ष 2016–17)
- उपयोग –ग्लास उद्योग, सोलन पैनल

D. डायस्पोर– पायरोफिलाइट

- जिला –ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
- कुल पट्टे–11
- उपयोग–डायस्पोर का उपयोग रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनाने में तथा पायरोफिलाइट का उपयोग रबर, पेन्ट, डिटर्जेन्ट, कीटनाशक, हैन्डीक्राफ्ट आदि में किया जाता है।
- रायल्टी–रू0 02 करोड़ (वर्ष 2016–17)

E. ग्रेनाइट डायमेन्शनल स्टोन

- जिला–ललितपुर
- कुल पट्टे–25
- उपयोग –ग्रेनाइट ब्लॉक का निर्यात किया जाता है तथा घरेलू बाजार हेतु कटिंग व पालिशिंग कर स्लैब व टाइल्स बनाये जाते है।
- रायल्टी –रू0 08 करोड़ (वर्ष 2016–17)

F. ग्रेनाइट –खण्डा/ गिट्टी

- जिला– ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
- कुल पट्टे– 332
- उपयोग–सड़क, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य
- रायल्टी–रू0 340 करोड़ (वर्ष 2016–17)

G. डोलोस्टोन–खण्डा/ गिटटी

- जिला–सोनभद्र
- कुल पट्टे–107
- उपयोग–गिट्टी बनाने हेतु
- रायल्टी–रू0 130 करोड़ (वर्ष 2016–17)

H. सैण्डस्टोन ब्लाक एवं खण्डा/ गिट्टी

- जिला–सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा
- कुल पट्टे–521
- उपयोग–सड़क निर्माण , बांधों के स्लोप की पिचिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने हेतु पटिया, सैण्ड स्टोन की मूर्तियां

•रायल्टी–रू0 105 करोड़ (वर्ष 2016–17)

I. ईंट मिट्टी एवं साधरण मिट्टी

- प्रदेश में 15189 ईंट भट्ठे कार्यरत है
- ईंट मिट्टी से रायल्टी रू0 195.72 करोड़ (वर्ष 2016–17)
- साधारण मिट्टी की रायल्टी रू0 325 करोड़(वर्ष 2016–17)

J. नदी तल में उपलब्ध उपखनिज

➢ बालू, बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में

- जिला–सहारनपुर, बिजनौर
- उपयोग– निर्माण कार्य हेतु केशर की मिट्टी हेतु

➢ बालू / मौरम

- जिला–जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र
- उपयोग–निर्माण कार्य हेतु

➢ साधारण बालू

- प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में।

(ii) खनिजों का क्षेत्र के भारत के GVA तथा उत्तर प्रदेश के GSVA में योगदान का तुलनात्मक विवरण :

(Rs. Crores)

Sr. no.	Year	Gross VA of mining in India	Total GVA at current price	% Share of Mining in GVA of India	Gross VA of mining in UP	Total GSVA of UP at current prices	%share of mining in GSVA	State's Own Resources	State's Mining Royalty	% Share of Royalty Income to State on resource
1	2012-13	285776	9205316	3.10%	6868	777716	0.89%	58098.36	722.17	1.24%
2	2013-14	295718	10368266	2.85%	8689	885839	0.98%	66583.22	912.23	1.37%
3	2014-15	313844	11470415	2.74%	9015	973052	0.93%	74272.96	1029.28	1.39%
4	2015-16	296041	12451938	2.38%	10115	1062374	0.95%	81106.29	1222.22	1.51%
5	2016-17	309178	13750786	2.25%	11295	1212440	0.93%	85865.41	1547.25	1.80%
	CAGR	1.99%	10.55%		13.16%	11.74%		10.26%	20.98%	

- राष्ट्रीय स्तर पर खनिजों GVA में अंष गत 5 वर्षो में 3.1% से घटकर 2.25% हो गया है वहीं राज्य में खनिजों से आय का अंश राज्य के स्वयं अर्जित संसाधनों में 1.24% से बढ़कर 1.8% हो गया है।
- प्रस्तावित नीति सुधार से राज्य में यह अंश अगले 5 वर्षो में बढ़ाकर 3% किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(27)

(iii) वर्ष 2016–17 के उपखनिजों से प्राप्त आय, उत्पादन व मूल्य अनुमान का विवरण :

क्र0 सं0	वर्ष 2016–17	रायल्टी की दर	रायल्टी (रू0 लाख में)	उत्पादन (लाख घन मी0 में)	मूल्य अनुमान (रू0 लाख में)
1.	ब्रिक अर्थ	54 रू/हजार	19600.00	6,53.00	98,000.00
2.	बालू	प्रथम श्रेणी – 65 रू/घन मी0 द्वितीय श्रेणी– 55 रू/घन मी0	3315.00	55.23	16,575.00
3.	मोरम	150 रू/घन मी0	3120.00	20.80	15,600.00
4.	ग्रेनाईट	5000 रू/घन मी0ए (बड़ा ब्लॉक) 3000 रू/घन मी0 (छोटा ब्लॉक)	800.00	20.00	4,000.00
5.	स्लेब (सैण्ड स्टोन)	650रू/घन मी0	360.00	0.60	1800.00
6.	बजरी	110 रू/घन मी0	55.00	0.50	275.00
7.	ग्रेनाईट–गिट्टी/बोल्डर	160 रू/घन मी0	34000.00	2,12.50	1,70,000.00
8.	सैण्ड स्टोन–गिट्टी/ बोल्डर	110 रू/घन मी0	10200.00	92.72	51,000.00
9.	डोलोस्टोन–गिट्टी	160 रू/घन मी0	13000.00	81.25	65,000.00
10.	साधारण मिट्टी	30 रू/घन मी0	32500.00	1083.00	1,62,500.00
11.	सिलिका सैण्ड	100 रू/टन	250.00	2.50 टन	1,250.00
12.	पायरोफिलाइट/ डायस्पोर	पायरो0 300 रू/टन डाय0 500 रू/टन	200.00	0.50 टन	1,000.00
13.	कोयला	14 प्रतिशत विक्रय मूल्य का (Ad valorem)	30942.09	14.25 मिलियन टन	–
14.	लाइम स्टोन	80 रू/घन मी0	660.00 (1496.00 की छूट प्राप्त)	26.95 लाख टन	10760.00
15	अन्य आय		5723.25		
	योग		154725.34		

7. खनन प्रशासन की विधिक व्यवस्था :–

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 (Mines and Minerals Development and Regulation Act-1957) की धारा 13 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य खनिजों का व्यवस्थापन केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था है जिसके अर्न्तगत मुख्य खनिजों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खनिज परिहार नियमावली–2016 प्रख्यापित की गयी है।

- उक्त अधिनियम–1957 की धारा 15 में प्रदेश शासन को उपखनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये है जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 (U.P Minor Mineral Concession Rule-1963) प्रख्यापित की गयी है।

- उक्त अधिनियम–1957 की धारा 18 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार खनिजों के विकास के सम्बन्ध में नियमावली बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है, जिसके अर्न्तगत मुख्य खनिजों के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली–1988 तथा ग्रेनाइट (उपखनिज) खनिज के लिए, ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावाली–1999 प्रख्यापित की गयी है।

- उक्त अधिनियम–1957 की धारा 23–सी में अवैधानिक खनन, परिवहन तथा भण्डारण को नियंत्रित करने हेतु नियमावली बनाने के अधिकार प्रदेश शासन को दिये गये है जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2002 प्रख्यापित की गयी है।

किसी खनिज को उपखनिज घोषित करने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज यथा बालू/मोरम, पहाड़ों के खण्डा/बोल्डर /गिट्टी, ईंट मिट्टी, भराई के उपयोग हेतु साधारण मिट्टी, डायस्पोर–पायरोफिलाइट, सिलिका सैण्ड उपखनिज की श्रेणी में आते है। उपखनिजों को छोड़कर शेष खनिज मुख्य खनिज की श्रेणी में आते है।

8. खनिज परिहार स्वीकृत करने की नीति :–

सभी पट्टों के परिहारों की स्वीकृति ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–बिडिंग के माध्यम से ही किया जायेगा। सभी परमिट अथवा पट्टों के लिए वन एवं पर्यावरण अनापत्ति अनिवार्य होगी।

(i) नदी तल के उपखनिजों हेतु :

क. दीर्घकालीन व्यवस्था :

नदी तल के उपखनिजों को यथासम्भव बडे क्षेत्रफल के खण्ड बनाकर ई–टेण्डर/ई–ऑक्शन/ई–बिडिंग के माध्यम से दीर्घकालीन अवधि के लिए वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर खनन पट्टे पर दिये जायेंगे। खण्ड यथासम्भव 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के होंगे। खनिज की उपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से छोटे खण्ड बनाया जाना आवश्यक हो तो क्षेत्रों का क्लसटर बनांकर संगठित किया जायेगा। ऐसे दीर्घकालीन पट्टों की अवधि कम से कम 05 वर्ष की होगी। सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही क्षेत्रों में खनन संक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ख. अल्पकालीन व्यवस्था:

यदि किसी कारणवश नदी तल के क्षेत्रों का दीर्घकालीन अवधि के लिए व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो वहां अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जायेगा। अल्पकालीन अवधि, जिसकी अधिकतम अवधि 06 माह होगी, के लिए खनन अनुज्ञा पत्र ई–टेण्डर/ ई–ऑक्शन/ई– बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।

(ii) स्वस्थानें चट्टान (In Situ Rocks) के रूप में पाये जाने वाले ईमारती पत्थर :

स्वस्थानें चट्टान (In Situ Rocks) किस्म के खनिज निक्षेपों जैसे ग्रेनाइट–खण्डा/गिट्टी/बोल्डर, सैण्डस्टोन–ब्लॉक/खण्डा/गिट्टी, डोलोस्टोन

–गिट्टी आदि के खनन पट्टे वर्तमान में नियमावली 1963 के अध्याय–2 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाते है तथा उनका एक बार नवीनीकरण किये जाने की भी व्यवस्था है।

इस संबंध में प्रस्तावित है कि खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से क्षेत्रों के व्यवस्थापन के उद्देश्य से स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के खनिज निक्षेपों (Mineral Deposits) के वर्तमान स्वीकृत एवं चालू खनन पट्टे अपनी पट्टा अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त इन खनन पट्टों का नवीनीकरण नही किया जायेगा बल्कि जैसे–जैसे क्षेत्र रिक्त होते जायेंगे, रिक्त क्षेत्रों तथा नये क्षेत्रों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–बिडिंग के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के ऐसे क्षेत्र जो नवीनीकृत नहीं किये जाएगें तथा उनका परिहार ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा, उन क्षेत्रों के परिहार को अन्तिम आवंटन से पूर्व, पिछले पट्टेदार को उच्चतम निविदा/बोली के बराबर आफर देने का एक अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि पिछले पट्टेदार द्वारा पट्टे की सभी शर्तों का पालन सही प्रकार से किया गया हो तथा खनिज की रायल्टी/डेडरेन्ट आदि के मद में कोई बकाया नहीं हो।

(iii) ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन :

ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन यद्यपि उपखनिज है, परन्तु इसके संरक्षण, सुव्यवस्थित विकास एवं वैज्ञानिक ढंग से खनन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–18 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा **ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999** प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के अनुसार क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने के प्राविधान है। खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होनें के उपरान्त 20 से 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने तथा अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के खनन पट्टा नवीनीकरण के प्राविधान है।

उक्त नियमावली– 1999 में ग्रेनाइट खनिज के परिहार स्वीकृत करने की प्रकिया के प्राविधान सम्मिलित नही है, जिसके कारण इनके खनन परिहार उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अध्याय–2 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते है।

वर्तमान में जिन क्षेत्रों में ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन खनिज की उपलब्धता सुस्थापित है, उन क्षेत्रों में नियमावली 1963 के अध्याय–2 के प्राविधानों के अन्तर्गत खनन पट्टे अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जाते है तथा उनका नवीनीकरण भी किया जाता है।

इस संबंध में प्रस्तावित है कि खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से क्षेत्रों के व्यवस्थापन के उद्देश्य से वर्तमान में स्वीकृत खनन पट्टे अपनी पट्टा अवधि तक प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त खनन पट्टा का नवीनीकरण नही किया जायेगा। जैसे–जैसे क्षेत्र रिक्त होते जायेंगे, इन क्षेत्रों को ई–टेण्डर/ई–आक्शन

/ई–विडिंग के माध्यम से अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जायेंगे। नये क्षेत्रों को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस सह खनन पट्टा (कम्पोजिट लाइसेंस) ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि अधिकतम 02 वर्ष तथा प्रोस्पेक्टिंग के उपरान्त खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। खनन प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना तथा Mining Plan स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के ऐसे क्षेत्र जो नवीनीकृत नहीं किये जाएगें तथा उनका परिहार ई–टेण्डर/ ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से किया जायेगा, उन क्षेत्रों के परिहार को अन्तिम आवंटन से पूर्व, पिछले पट्टेदार को उच्चतम निविदा/बोली के बराबर आफर देने का एक अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि पिछले पट्टेदार द्वारा पट्टे की सभी शर्तों का पालन सही प्रकार से किया गया हो तथा खनिज की रायल्टी/डेडरेन्ट आदि के मद में कोई बकाया नहीं हो।

(iv) **स्वस्थाने चट्टान के रूप में पाये जाने वाले उपखनिज जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे :**

31 खनिज को जो पहले मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 के द्वारा उपखनिज के रूप में घोषित किया गया है। घोषित उपखनिजों मे से पायरोफिलाइट–डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, डोलोमाईट, क्वार्टज, चाईना क्ले प्रदेश में पाये जाते है, जिनमें से पायरोफिलाइट –डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, डोलोमाईट के खनन पट्टे वर्तमान में स्वीकृत है। मुख्य खनिज के रूप में इन खनिजों के खनन पट्टे 20 वर्ष की अवधि के लिये किये जाते थे तथा इनका नवीनीकरण व अनुवर्ती नवीनीकरण के भी प्राविधान थे। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथा संशोधित वर्ष, 2015 की धारा–6ए के अनुसार मुख्य खनिजों के खनन पट्टों की अवधि मूल पट्टा स्वीकृति के दिनांक से 50 वर्ष किये जाने के प्राविधान किये गये है।

इस संबंध में प्रस्तावित है कि इन खनिजों के जो खनन पट्टे वर्तमान में चल रहे है वह अपनी अवधि तक प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त खनन पट्टा का नवीनीकरण नही किया जायेगा। इसके उपरान्त क्षेत्र रिक्त होने पर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए ई–टेण्डर/ई–आक्शन /ई–विडिंग के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जायेंगे। नये क्षेत्रों के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस सह खनन पट्टा (कम्पोजिट लाइसेंस) ई–टेण्डर/ई–आक्सन/ई–विडिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि अधिकतम 02 वर्ष तथा प्रोस्पेक्टिंग के उपरान्त खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। खनन प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना तथा Mining Plan अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के ऐसे क्षेत्र जो नवीनीकृत नहीं किये जाएगें तथा उनका परिहार ई–टेण्डर/ ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से किया जायेगा, उन क्षेत्रों के परिहार को अन्तिम आवंटन से पूर्व, पिछले पट्टेदार को उच्चतम निविदा/बोली के बराबर आफर देने का एक अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि पिछले पट्टेदार द्वारा पट्टे की सभी शर्तों का पालन सही प्रकार से किया गया हो तथा खनिज की रायल्टी/डेडरेन्ट आदि के मद में कोई बकाया नहीं हो।

(v) साधारण मिट्टी :

प्रदेश में साधारण मिट्टी की उपलब्धता बहुतायत है तथा आवश्यकतानुसार इसका खनन किया जाता है। वर्तमान में साधारण मिट्टी के खनन परिहार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नियमावली 1963 के अध्याय–6 के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह के लिये खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा निकासी की जाने वाली मात्रा पर विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी जमा करायी जाती हैं। नियमों के अनुसार रायल्टी दर खनिमुख मूल्य का अधिकतम 20 प्रतिशत रखा जाता है।

साधारण मिट्टी का बहुतायत प्रयोग कार्यदायी संस्थानों द्वारा निर्माण कार्यों में किया जाता है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए तैयार किये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) में निर्दिष्ट साधारण मिट्टी की मात्रा के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं से एक मुश्त रायल्टी जमा कराकर अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जायेंगे ताकि शासकीय निर्माण कार्य में गति प्रदान की जा सके तथा राजस्व की क्षति न हो, परन्तु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। साधारण मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों पर आवेदन, रायल्टी की देयता, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट का विवरण परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है।

(vi) ईट–मिट्टी :

प्रदेश में लगभग 16000 ईट भट्ठे कार्यरत है। ईट–भट्ठों की उत्पादन क्षमता भट्ठे के पाये की संख्या पर निर्भर करता है। ईट के निर्माण में भट्ठा मालिकों द्वारा काश्तकारों की सहमति से उनके खेतों से मिट्टी का खनन कर उपयोग किया जाता है। ईट–मिट्टी का खनन सामान्यतः छोटे–छोटे खण्डों में किसानों के अलग–अलग खेतों से किये जाते हैं, जिसके कारण ईट–मिट्टी के खनन की वास्तविक मात्रा का आंकलन व्यवहारिक रूप से नही हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में वाणिज्य कर की भांति ईट–मिट्टी की रायल्टी के लिये एकमुश्त समाधान योजना वर्ष 2005 से प्रभावी है। ईट पथाई के दौरान पलोथन के रूप मे प्रयोग होने वाले बलुई मिट्टी के लिये समाधान योजना अन्तर्गत एकमुश्त रायल्टी के 10 प्रतिशत की धनराशि समाधान योजना में जोड़कर ली जाती है। समाधान योजना की उक्त व्यवस्था आगे भी जारी रखा जायेगा।

9. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन :–

प्रदेश के विकास कार्यों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, भवनों, एवं पुलों आदि का निर्माण कार्य किया जाता है। विकास कार्यों में निर्माण के लिये आवश्यक उपखनिजों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उपखनिजों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि उपयुक्त खनन क्षेत्रों का चयन, खनन क्षेत्रों का विकास व खनन कार्य इस प्रकार सम्पादित कराये जायें कि पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये रखते हुये खनिजों के दोहन से अनुकूलतम राजस्व की प्राप्ति हो ताकि प्रदेश का सतत विकास (Sustainable Development) हो सके।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 27.02.2012 के द्वारा खनन क्षेत्रों का क्षेत्रफल, खनन पट्टों की अवधि, नदी तल में खनन की गहराई अधिकतम तीन मीटर या वाटर लेवल जो भी कम हो निर्धारित किया जाना, सेफटी जोन बनाया जाना, सभी प्रकार की खनन

संक्रियायें खनन योजना के अनुसार सम्पादित कराया जाना, छोटे–छोटे खनन क्षेत्रों की स्थिति में क्लस्टर बनाकर खनन कराया जाना, खानों के रिक्लेमेशन एवं रिहेबिलिटेशन का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन किया जायेगा।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं निर्गत अनुवर्ती अधिसूचनाओं के अन्तर्गत खनन संक्रियाओं को सम्पादित करने के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू की गई है। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेशों का अनुपालन करते हुये प्रदेश में खनिज उपखनिजों के खनिज परिहार स्वीकृत किये जाने के पूर्व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता हेतु नियमों में प्राविधान कर दिया गया है। खनन पट्टे स्वीकृति उपरान्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गई शर्तो के अनुसार खनन संक्रियायें की जायेंगी, जिससे खनिजों के दोहन से होने वाले सम्भावित पर्यावरणीय क्षति न्यूनतम हो।

10. खनन प्रशासन का सुदृढ़ीकरण :–

प्रथम चरण में खनन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु मण्डल स्तर पर वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय अधिकारी एवं प्रत्येक जनपद में खान अधिकारी, खान निरीक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक तहसील में खान निरीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

11. तकनीकी शिक्षण संस्थानों में खनन तकनीक का पाठ्यक्रमः–

प्रदेश में खनन कार्यो का वृहतर विकास हुआ है परन्तु अभी प्रदेश में आई0आई0टी0, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य कही भी खनन तकनीक/अभियंत्रण की डिप्लोमा/डिग्रीस्तर की पढ़ाई नही होती है। आई0टी0आई0 संस्थानों में भी खनन तकनीक का पाठ्यक्रम सम्मिलित नही है। खनन तकनीक के योग्य अभियन्ताओं/कार्मिकों की आवश्यकता है। प्रदेश के कम से कम दो पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा कम से कम 05 आई0टी0आई0 संस्थानों में खनन तकनीक का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।

12. जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0)

I. "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957" की धारा–9बी के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–489/86–2017–132/2016, दिनांक 25.04.2017 द्वारा प्रत्येक जिलें में एक लाभ रहित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की स्थापना की गयी है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासो की संरचना और उनके कृत्यों के विनियमन हेतु "उ0प्र0 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के विकास सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

II. मुख्य खनिज एवं उपखनिज के पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रायल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जनपदों में इस निमित्त बनाये गये न्यास में जमा किया जायेगा। मुख्य खनिज के संदर्भ में रायल्टी का प्रतिशत जो जिला खनिज फाउण्डेशन में जमा किया जायेगा, का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तथा उपखनिजों के संदर्भ में इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

III. जिला खनिज फाउन्डेशन में जमा धनराशि का उपयोग खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु किया जायेगा।

IV. डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में भी किया जायेगा।

13. <u>टेक्नोलाजिकल इण्टरवेन्शन के लिये अधिभार</u> :

खनिजों के अवैध खनन / परिवहन की रोकथाम हेतु टेक्नोलाजिकल इण्टरवेन्शन के उपयोग में होने वाली व्यय की पूर्ति हेतु खनन पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रायल्टी के एक प्रतिशत समतुल्य धनराशि अधिभार (Cess) के रूप में वसूल की जायेगी। इसके साथ ही Revenue Sharing के आधार पर निजी क्षेत्र की समस्याओं से प्रर्वतन कार्य हेतु अपनाये जाने पर भी विचार किया जायेगा, जिसमें Technology Provider के तकनीक से अवैध खनन/परिवहन पर दण्ड/जुर्माना से विभाग को जो लाभ प्राप्त होगा, उसका निर्धारित अंश Technology Provider को दिये जाने की नीति बनायी जायेगी।

14. <u>नागरिक सूचना (Citizen Reporting)</u> :

जनसामान्य द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर अवैध खनन/ परिवहन के विरूद्व की गयी कार्यवाही से शासन को प्राप्त राजस्व क्षतिपूर्ति का निर्धारित अंश सूचना उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को दिये जाने की नीति बनायी जायेगी। इसके लिए Android/ios app विकसित किया जायेगा।

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

परिशिष्ट–क

साधारण मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों पर आवेदन, रायल्टी की देयता, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट का विवरण–

क0 सं0	मद	अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र/ सूचना	रायल्टी की देयता	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1	खान एवं खनिज मंत्रालय, भारत[1] सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.02.2000 के अनुसार बांधों, सड़कों, रेलमार्गों, भवनों के निर्माण के लिये भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी/साधारण मिट्टी को उपखनिज घोषित किया गया है, के लिये	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ
2	भवन निर्माण से भिन्न ग्रामीण[2] अंचल में छोटे–छोटे गृहो के निर्माण हेतु पशु गाड़ी अथवा 10 ट्रैक्टर ट्राली अर्थात अधिकतम 40 घन मी0 तक के लिये मिट्टी का उपयोग किये जाने हेतु	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नही	नही
3	शिल्पकारों, वंशानुगत कुम्भकारों[3] कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन खिलौना आदि के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के लिये	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
4	बिन्द, मांझी, केवट इत्यादि मछुवा[3] समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मत्स्य पालन के प्रयोजन हेतु तालाब, पोखर, जलाशय इत्यादि का बनाये जाने के लिये	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
5	किसानों द्वारा अपने कृषकीय भूमि[3] का बिना मिट्टी परिवहन के समतलीकरण	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
6	निजी कृषि भूमि पर मिट्टी से मेड़ों को बनाये जाने हेतु	नही	नहीं	नहीं
7	ग्रामीण अंचल में मकान के ऊपर[3] छाये जाने वाली टाइलों (खप्पर) के निजी उपयोग हेतु निर्माण के लिये मिट्टी	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
8	किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि[4] भूमि पर जमें बालू को हटाने हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं

9	सामुदायिक कार्यों जैसे–ग्रामीण[4] तालाबों से गाद (Silt) हटाना, मनरेगा के स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयास से ग्रामीण सड़कों तालाबों, बांधों का संनिर्माण	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
10	बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों[4] की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये तल मार्जन और गाद निकालने हेतु	आवेदन पत्र	हाँ	नहीं
11	सिंचाई या पेयजल के लिये कुंओं की[4] खुदाई	नहीं	नहीं	नहीं
12	जिलाधिकारी के आदेश पर किसी[4] नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिये साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटे जाने हेतु	सूचना	हाँ	नहीं
13	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यवसायिक[5] माल/ बहुमंजलियें काम्पेलक्स जिनमें निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से कम हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु	आवेदन पत्र	हाँ	नहीं
14	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यवसायिक[5] माल/ बहुमंजलियें काम्पेलक्स जिनमें निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से अधिक हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु	आवेदन पत्र	हाँ	हाँ
15	ईंट भट्ठा हेतु मिट्टी की खुदाई	आवेदन पत्र	हाँ	हाँ

नोटः–

1. भारत सरकार खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–11.सा0का0नि0 95(अ) नईदिल्ली, दिनांक–03.02.2000 ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–427/एम0–1 ए15/11, दिनांक 10.07.2014 ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1840/एम0–1 ए15/11, दिनांक 01.02.2014 ।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–15.01.2016 ।
5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–09.12.2016 ।

परिशिष्ट– क

साधारण मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों पर आवेदन, रायल्टी की देयता, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट का विवरण–

मद		अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र/ सूचना	रायल्टी की देयता	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	खान एवं खनिज मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.02. 2000 के अनुसार बांधों, सड़कों, रेलमार्गों, भवनों के निर्माण के लिये भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी/ साधारण मिट्टी को उपखनिज घोषित किया गया है, के लिये	आवेदन पत्र	हाँ	हाँ
2.	भवन निर्माण से भिन्न ग्रामीण अंचल में छोटे– छोटे गृहो के निर्माण हेतु पशु गाड़ी अथवा 10 ट्रैक्टर ट्राली अर्थात अधिकतम 40 घन मी0 तक के लिये मिट्टी का उपयोग किये जाने हेतु	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
3.	शिल्पकारों, वंशानुगत कुम्भकारों कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन खिलौना आदि के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के लिये	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
4.	बिन्द, मांझी, केवट इत्यादि मछुवा समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मत्स्य पालन के प्रयोजन हेतु तालाब, पोखर जलाशय इत्यादि का बनाये जाने के लिये	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
5.	किसानों द्वारा अपने कृषकीय भूमि का बिना मिट्टी परिवहन के समतलीकरण	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया	नहीं	नहीं

		जाना		
6.	निजी कृषि भूमि पर मिट्टी से मेड़ों को बनाये जाने हेतु	नही	नही	नही
7.	ग्रामीण अंचल में मकान के ऊपर[3] छाये जाने वाली टाइलों (खप्पर) के निजी उपयोग हेतु निर्माण के लिये मिट्टी	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
8.	किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि[4] भूमि पर जमें बालू को हटाने हेतु	आवेदन पत्र	हाँ	नहीं
9.	सामुदायिक कार्यों जैसे–ग्रामीण[4] तालाबों से गाद (Silt) हटाना, मनरेगा के स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयास से ग्रामीण सड़कों तालाबों, बांधों का संनिर्माण	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
10.	बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों[4] की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये तलमार्जन और गाद निकालने हेतु	आवेदन पत्र	हाँ	नहीं
11.	सिंचाई या पेयजल के लिये कुंओं की[4] खुदाई	नहीं	नहीं	नहीं
12.	जिलाधिकारी के आदेश पर किसी[4] नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिये साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटे जाने हेतु	सूचना	हाँ	नही
13.	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यावसायिक5 माल/बहुमंजलीय काम्प्लेक्स जिनमें निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से कम हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु	आवेदन पत्र	हाँ	नहीं
14.	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यावसायिक5 माल/बहुमंजलीय काम्प्लेक्स जिनमें	आवेदन पत्र	हाँ	हाँ

	निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से अधिक हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु			
15.	ईंट भट्ठा हेतु मिट्टी की खुदाई	आवेदन पत्र	हाँ	हाँ

नोट:–

1. भारत सरकार खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–11.सा0का0नि0 95(अ) नई दिल्ली, दिनांक –03.02.2000 ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–427/एम0–1 ए15/11, दिनांक 10.07.2014 ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1840/एम0–1 ए15/11, दिनांक 01.02.2014 ।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक– 15. 01.2016 ।
5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक– 09. 12.2016 ।

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म–14–06–2017–(414)–500 प्रतियां–(कम्प्युटर/टी/आफसेट)।

(39)

पत्र सं0-2883/86-2017-198/2011टी0सी0-1

अनुलग्नक-06

प्रेषक,

डा0 बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 02 नवम्बर, 2017

विषय-भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-52'क' में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किया गया है :-

52-क-कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया :-

(1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर उसकी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू और मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0 2000/- (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियाँ, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी /खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है :-

(क) क्या बालू और मौरम आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए है,

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है,

(ग) क्या बालू और मौरम के जमाव के कारण आवेदक/आवेदको आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहे है,

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,

(ड़) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,

(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र के आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त हैं ?

(3) ऊपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की धनराशि, को अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकते है।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु उक्त नियमावली के प्राविधानों और परिवहन आदि के सम्बन्ध में निर्गत अद्यतन निर्देशों के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः _____ (1)/86–2017, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव।

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

(41)

संख्या– 848 /86–2018–198/2011टीसी–II

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांकः 12- अप्रैल, 2018

विषयः– भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या–710/86–2018–198/2011टीसी–II, दिनांक 05.04.2018 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–68 के अन्तर्गत खनिज विकास के हित में एवं जनसामान्य को बालू/मौरम की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय स्तर से प्रक्रियात्मक कार्यवाही का त्वरित निस्तारण कर नियम–52(क) के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को खनन योजना (Mining Plan) स्वीकृत करने हेतु अधिकृत करते हुये तद्नुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि प्रश्नगत आदेश की जानकारी कतिपय जिलाधिकारियों को नहीं हो पायी है और इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन–पत्र अभी भी निस्तारण हेतु लम्बित है।

2. अतः वर्णित स्थिति में उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05.04.2018 की छायाप्रति संलग्न कर पुनः प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में विचार कर गुण–दोष के आधार पर खनन योजना स्वीकृत करते हुये अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /86–2018–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा–निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या–710 /86–2018–198/2011टीसी–II

छत्तनक:- 04

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 05 मार्च, 2018

विषयः– भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–52(क) के अन्तर्गत कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने हेतु 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने के लिये जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश शासनादेश संख्या–2883/86–2017–198/2011टीसी–1, दिनांक 02.11.2017 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (44वां संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–34(1) में यह प्राविधान है कि प्रश्नगत मामले में खनन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने से पूर्व आवेदक खनन योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत करेगा। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनन योजना तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने और उसके परीक्षणोपरान्त कमियों का निराकरण कर स्वीकृत करने में काफी विलम्ब होता है, जिससे अनुज्ञा–पत्र समय से निर्गत नहीं हो पा रहे हैं।

3. उक्त नियमावली के नियम–68 में विशेष मामलों में नियमों को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान है :–

> "68. विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना :– राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये किसी खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।"

p/c

(43)

4. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–68 के अर्न्तगत खनिज विकास के हित में एवं जनसामान्य को बालू/गौरम की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय स्तर से प्रक्रियात्मक कार्यवाही के त्वरित निस्तारण हेतु नियम–52'क' के अर्न्तगत निर्गत किए जाने वाले खनन अनुज्ञा–पत्र में खनन योजना के अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 के स्थान पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया खनन योजना के अनुमोदन से सम्बन्धित उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार प्रश्नगत मामले में अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–710(1) /86–2018–तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा–निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

(44) 359
06

संख्या -2027 / 86-2019-57(सा0) / 2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक :30 अगस्त, 2019

विषय- **भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश सं0-2883/86-2017-198/2011टीसी-1, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। अधिसूचना सं0-1868/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का नियम-52क निम्नवत् है:-

52क- कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रकिया:-

(1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/-(रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है -

(क) क्या **बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था में हो**, आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए हैं,

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का/के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/हैं;

(ग) क्या **बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हों** के जमाव के कारण आवेदक/आवेदकगण आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहा/रहे हैं;

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत 05 वर्षो में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी;

(ङ.) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है;
(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र का आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है?

(3) ऊपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो, कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकता है।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी, जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रश्नगत नियमावली के उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/86-2019-57(सा0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-799/एम-1ए 15/2019 (VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक *(द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ)।*
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

का. आ. 141(अ).—एक प्रारूप अधिसूचना, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना, सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में कतिपय और संशोधन करने के लिए सं. का.आ. 2588 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 सितम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्त: विचार किया गया है ;

और दीपक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2009 की विशेष अनुमति याचिका (सि) सं. 19628-19629 तारीख 27 फरवरी, 2012 में आई.ए.सं. 12-13, के आदेश के अनुसरण में खनन पट्टे के क्षेत्र पर विचार किए बिना लघु खनिजों के खनन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अब आज्ञापक हो गई है ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में ऐसे मामले जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करना अपेक्षित हो गया है, सारवान रूप से बढ़ गए है ;

और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बालू खनन के मामले में 13 जनवरी, 2015 के अपने आदेश द्वारा समूह में लघु खननों के खनन पट्टे की पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए नीति बनाने का निदेश दिया है ;

और राज्य सरकारों ने लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभ्यावेदन दिए है ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श से धरणीय बालू खनन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए है जिसमें क्लस्टर के लिए पर्यावरणीय निकासी के उपबंधों, जिला

	(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; (ग) तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011. यदि हां, तो उनके ब्यौरे और परिस्थिति दी जानी है।	
17.	अंतर्वलित वन भूमि (हेक्टेयर)	
18.	क्या परियोजना और/या भूमि जिसमें परियोजना स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, के विरुद्ध कोई मुकद्दमेबाजी लंबित है ? (क) न्यायालय का नाम (ख) वाद संख्या (ग) न्यायालय के आदेश या निदेश, यदि कोई हों और उनकी प्रस्तावित परियोजना के लिए संगतता।	

(नाम और पते के साथ परियोजना
प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट 9

[पैरा 7 (i)(ख) देखें]

कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :—

1. साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैंप, खिलौने आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।

2. मिट्टी की टाइलें बनाने वालों द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्त्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में सामुदायिक कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों, बांधों का संनिर्माण।

6. बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

7. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं.जीयू/90(16)/एमसीआर-2189 (68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

8. सिंचाई या पेयजल के लिए कुंओं की खुदाई।

9. ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

10. जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।

11. ऐसे कार्यकलाप जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकारी की सहमति से गैर खननकारी कार्यकलाप घोषित किया है।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

(48)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942
No. 1088] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्बाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंत:स्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टादार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज बाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।"

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।

2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर–2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सकें।

13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006);

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.";

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.";

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity."

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019;
40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020;
41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and
42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या– 446/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0–1

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–7 लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय–पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपठित अधिसूचना सं0–1224 (अ) दिनांक 28–03–2020 के परिशिष्ट–9 में निम्न कियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई हैं :–

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिटटी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिटटी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिटटी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिटी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिटटी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिमार्ण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिटटी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेडों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0–जीयू/90(16)/एमसीआर–2189(68)/5–सीएचएच द्वारा बंजारा और औड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू– पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुआँ की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिटटी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. "ऐसे कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी कियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-3204/86-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वाँ संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:-

"ईंट एवं मिटटी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अर्न्तगत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आई0ए0 अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित कियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वाँ संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-446(1)/81-7-2020-02(एमी)/2014 टीएसी0-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु-सचिव।

No. L-11011/47/2011-IA.II(M)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhavan,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003.
Telefax: 24362434

Dated the 18th May, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Order of Hon'ble Supreme Court dated 27.2.2012 in I.A. no. 12-13 of 2011 in SLP (C) no. 19628-19629 of 2009 in the matter of Deepak Kumar etc. Vs State of Haryana and Ors. – Implementation thereof - Regarding.

Reference is invited to the above mentioned order of the Hon'ble Supreme Court directing inter-alia as under:

> **"We in the meanwhile, order that leases of minor mineral including their renewal for an area of less than 5 ha be granted by the States / UTs only after getting environmental clearance from the MoEF."**

2. The Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, as amended, requires mining projects (new projects, expansion or modernization of existing projects as also at the stage of renewal of mine lease) with lease area of 5 ha and above, irrespective of the mineral (major or minor) to obtain prior environment clearance under the provisions thereof. Mining projects with lease area of 5 ha and above and less than 50 ha are categorized as category 'B' whereas projects with lease area of 50 ha and above are categorized as category 'A'. The category 'A' projects are considered at the central level in the Ministry of Environment & Forests while category 'B' projects are considered by the respective State/UT Level Environment Impact Assessment Authority, notified by MoEF under the EIA Notification, 2006.

3. In order to ensure compliance of the above referred order of the Hon'ble Supreme Court dated 27.2.2012, it has now been decided that all mining projects of minor minerals including their renewal, irrespective of the size of the lease would henceforth require prior environment clearance. Mining projects with lease area up to less than 50 ha including projects of minor mineral with lease area less than 5 ha would be treated as category 'B' as defined in the EIA Notification, 2006 and will be considered by the respective SEIAAs notified by MoEF and following the procedure prescribed under EIA Notification, 2006.

4. Further, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 16.4.2012 in the above mentioned matter and the linked applications has observed as under:

> "All the same, liberty is granted to the applicants before us to approach the Ministry of Environment and Forests for permission to carry on mining below five hectares and in the event of which Ministry will dispose of all the applications within ten days from the date of receipt of the applications in accordance with law."

Accordingly, the respective SEIAAs in dealing with the applications of the applicants referred to in the above mentioned order shall ensure that the directions of the Hon'ble Supreme Court are effectively complied with and the applications of such applicants are disposed of within the time limit prescribed by the Hon'ble Court in accordance with law.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Dr. S.K. Aggarwal)
Director

To

1. The Secretary, Ministry of Mines, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Chief Secretaries of all the States / UTs
3. Chairpersons / Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs
4. Chairman, CPCB
5. Chairpersons / Member Secretaries of all SPCBs / UTPCCs

Copy to:-

1. PS to MEF
2. PPS to Secretary (E&F)
3. PPS to JS(RG)
4. All the Officers of IA Division
5. Website, MoEF
6. Guard File